FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला):NORTH EAST P.S.(थाना): KHAJURI KHAS Year(वर्ष): 2020 FIR No(प्र.सू.रि.स.):0087 Date : 13/02/2020

2. Act(s)(अधिनियम): Section(s)(धारा(ऐं)):
   - IPC 1860 498A/406/354(A)

3. Occurrence of Offence (अपराध की घटना):
   (a) Day(दिन): INTERVENING DAY Date From(दिनांक से): 03/02/2017 Date To(दिनांक तक): 08/10/2017
   Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs
   (b) Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 13/02/2020 Time (समय): 22:00 hrs
   (c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 058A Date/Time(दिनांक/समय): 13/02/2020 22:07

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   (a) Direction and Distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): N/A , 1 Km(s)
   (b) Address(पता): H NO K-73 ,GALI NO 53 ,SADATPUR EXTN ,DELHI Beat No(बीट सं.) : 07
   (c) In case, Outside the limit of the Police Station (यदि थाना सीमा के बाहर है):
   Name of P.S(थाना का नाम): District(जिला):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): SARVESH (D/O) SH RAMSURESH
   (b) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 1995 Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
   (c) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (d) Occupation (व्यवसाय):
   (e) Address(पता): H NO 281/9, GROUND DUNGAR MOHALLA, FARSH BAZAR, SHAHDARA DELHI, INDIA.

7. Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary)(ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन): (6)
   - MUKESH (S/O) BHAGWAT PARSHAD
     (R/O) H NO 52, GALI NO 8, C BLOCK, DAYALPUR, KHAJURI KHAS, NORTH EAST, DELHI, INDIA
   - BHAGWAT PARSAD
     (R/O) H NO 52, GALI NO 8, C BLOCK, DAYALPUR, KHAJURI KHAS, NORTH EAST, DELHI, INDIA
   - SMT GANGA DEVI (W/O) BHAGWAT PARSHAD
     (R/O) H NO 52, GALI NO 8, C BLOCK, DAYALPUR, KHAJURI KHAS, NORTH EAST, DELHI, INDIA

Scanned with OKEN Scanner

- SANGEETA (W/O) SH RAKESH

  (R/O) H NO 52, GALI NO 8, C BLOCK, DAYALPUR, KHAJURI KHAS, NORTH EAST, DELHI, INDIA

- SHARUKH

  (R/O) K-73, GALI NO 58, DELHI, KHAJURI KHAS, NORTH EAST, DELHI, INDIA

- PARDEEP

  (R/O) H NO K-73, GALI NO 58, DELHI, KHAJURI KHAS, NORTH EAST, DELHI, INDIA

8. **Reason for delay in reporting by the complainant/informant** (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

   NO DELAY

9. **Particulars of the properties stolen/involved (attach separate sheet if necessary)**:

   Sl.No. (क्र.सं.) Property Type(Description) Est. Value(Rs.)(मूल्य (रु में))

10. **Total value of property stolen** (चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य):

11. **Inquest Report / U.D. Case No., if any** (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

12. **F.I.R. Contents (attach separate sheet, if required)**(प्रथम सूचना रिपोर्ट तथ्य):

सेवा मे श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना खजूरी खास दिल्ली विषय: मेरे पति व ससुराल वालो द्वारा किये गये अपराध एव अत्याचारो की प्रथम सूचना रिपोर्ट अं. धारा 154 (1) सी.आर.पी.सी तहत प्रार्थना पत्र। महोदय पार्थना निम्न प्रकार निवेदन करती है 1. यह कि मेरी शादी मुकेश पुत्र श्री भगवत प्रसाद निवासी मकानन0 52 गली न.8 ब्लाक सी दयालपुर निकट दिल्ली पुलिसकैम्प दिल्ली-110094 के साथ दिनांक 01.02.2017 को श्रीराम सतसग भवन नवीन शहादरा दिल्ली पर हिन्दीरिवाज के अनुसार हुई थी 2. यह कि शादी से पहले मेरे पिताश्री राम सुरेश मेरे भाई श्री जयवीर व विनोद मेरी मम्मी श्रीमती विद्या देवी लडके वालोके घर पर उपरोक्त पते पर रोकने की रस्म करने के लिए दिनाक 17.07.2016 गये थे तथा मिठाई आदि के अतिरिक्त रूपये 25000/- (पच्चीस हजार रूपये केवल)श्री भगवत प्रसाद जी की माग के अनुसार उनको देकर आये थे।3. यह कि तत्पश्चात 30.01.2017 को मेरे पिता जी श्रीराम सुरेश मेरे भाई एंव 30 अन्य हमारे रिश्तेदार लडके वालो के उपरोक्त पते पर स्थित घर के सामने स्थित धर्मशाला मे सगाई एव लगन की रसम के लिए पहुचे। पहले सगाई की गई,जिसमे श्री मुकेश को सोने की अगूठी 15000/- रूपये की कीमत की पहनाई औरउनकी माग के अनुसार 31000/- रूपये दिये-और संलग्न सूची सख्या 1 के अनुसार सामान दिया जिसकी कुल कीमत लगभग 1.30000/- रूपये है।4.यह कि सगाई के पश्चात दिनाक 30.01. 2017 को ही लगनकी रसम अदा की गई जिसमें श्री मुकेश को उनकी माग के अनुसार 51000/- रूपये दिये और एक चांदी की अंगूठी पहनाई और एक 2 तोल की सोने की चैन पहनाई जिसकी कीमत 60.000/- रूपये की और सूची स०-2 के अनुसार मुकेश तथा उनके रिशदारो के लिए पहनने के कपडे आदिदिये जिसक कीमत लगभग 1.92.000/- रुपये है।5.यह कि मेरी शादी मुकेश के साथ दिनाक 01.02.2017 कोउपरोक्त श्री राम सतसग भवन नवीन शाहदरा दिल्ली_परहिन्दू रीति रिवाज के संग हुई थी। बारात में 700 व्यक्ति आयेथे जिमके स्वागत खाने आदि के प्रबंधन में 7,00,000 रूपये खर्चहुए। धर्मशाला का किराया 1,00,000/- रूपये था। टेन्ट काखर्च 2.00,000/- रूपये था। इसके अतिरिक्त मेरे पापा नेमेरे लिए सूची संख्या-3 के अनुसार समान मेरे साथ मेरीससुराल भिजवाया जिसकी कुल कीमत रू 1,70,000 है तथामेरी ससुराल पक्ष ने मुझे जो उपहार दिये थे सूची संख्या-4मे अकित है और उनकी कुल कीमत लगभग रू 2,92,000थी। शादी के मडप से दिनाक 02.02.2017 को मे अपनीससुराल अर्थात श्री मुकेश पुत्र श्री भगवत प्रसाद के निवासस्थान मकान न.52 गली न0 8 ब्लाक-सी दयालपुर निकट पुलिस कैम्प दिल्ली 110094 पहुंची जहा पर मुझे मुह दिखाई की रसम मे कुल रू. 50,000 प्राप्त हुए तथा जो उपहारप्राप्त हुए उनकी कीमत रू. 60,000/- थी।6.यह कि उसी दिन दिनाक 02.02.2017 शाम के समय मेरीसासू माँ अर्थात श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री भगवत प्रसाद नेमुझे मिली मुह दिखाई की रकम रू. 50,000/- मुह दिखाई मे मिले सारे उपहार जिनकी कीमत लगभग रू. 60,000/-तथा सूची सख्या- 4 के अनुसार मुझे दिये गये सभीउपहार/ सामान को मुझ से ले लिया और फिर कभी वापिसनहीं दिया। दिनाक 03.02.2017 को सूची संख्या-1 मे अंकितसारा सामान ससुर जी ने दूसरे मकान सख्या एल-68 गलीन0 38 सादतपुर में रखकर ताला लगा दिया।7.यह कि दिनाक 03.02.2017 और दिनाक 04.02.2017 की रातको मेरे पति मेरे साथ नहीं रहे और अपने एक दोस्त प्रदीप केसाथ सोए और पूछने पर उन्होंने बताया कि वो सम लैंगिक और प्रदीप को अपनी पत्नी मानते है । उसी के साथ सोते है।शारीरिक सम्बन्ध भी रखते है और धमकी दी कि यदि मैंनेइसके विरूद्व कुछ किया तो मुझे छोड देगे ना कि प्रदीप कोयह बात मैंने दिना 05.02.2017 को अपनी सासु माँ श्रीमती गंगा देवी को बताई परन्तु उन्होंने कहा कि इस विषय मे वोमेरी कोई मदद नहीं कर सकती और मे जो भी कर सकतीहूँ स्वय ही करना होगा। इसी दिन मेरे भाई मुझे लेने के लिएआये और मैंने अपने

भाई जाने से पहले अपनी सासु माँ श्रीमती गंगा देवी से अपने जेवर पहनने के लिए मागे मगरउन्होने जो भी देने से मना कर दिया।8. यह कि अपने मायके पहुचकर मैंने यह सारी वाते अपनी मम्मी को वताई तो उन्होने भी समझाया कि मेरे पापा मेरे साससुर जी से वात करेगे। दिनांक 06.02.2017 को मुकेश उनकेभाई राकेश मेरी ननद पूजा मुझे लेने के लिए आये औरउनके साथ अपनी ससुराल पहुच गयी।यह कि दिनाक 06.02.2017 को जव मे अपनी ससुराल पहुचीतो मैं अपने मायके पक्ष द्वारा दिये गये गहने पहने हुई थीजिनका विवरण संलगन सूची सख्या-3 मे अंकित है औरजिनकी कुल कीमत लगभग 1,27,000/- रुपये है उनको मेरी सासु माँ ने उतरवा कर अपने पास रख लिया और फिर कभीनही दिये।10 यह कि दिनाक 15.02.2017 को मुकेश मुझे अपने साथ अपने मित्रो से मिलवाने के लिए के-73 गली न० 53 सादतपुरएक्सटेंशन दिल्ली-94 स्थित मकान की तीसरी मजिल पर लेगया वहा पर मुकेश के मित्र अर्थात प्रदीप शाहरूख, सोनू एवरमन के साथ लगभग 30-35 साल उम्र एक महिला भीमौजूद थी और उनके लिए खाना पका रही थी। जिसका नामबाद में मालूम हुआ कि उसका नाम माला है और जो किएक विधवा है मेरे पति एवं उनके मित्र उस महिला के साथअश्लील हरकतें कर रहे थे। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि येलोग उस महिला को साथ अनैतिक एवं शारीरिक सम्बन्ध बनाये हुए थे। उन दोस्तो के सामने ही मुकेश ने मुझसे कहाकि मुझे भी उनके साथ माला की तरह ही रहना होगा औरकभी कभी उनके लिए खाना भी पकाना होगा।11 यह कि दृश्य देकर में घबरा गई और मैने उनसे जल्दी वापिसघर अर्थात मेरी ससुराल जाने के लिए कहा ससुराल मेंआकर मैंने यह बात अपनी सासु माँ श्रीमती गंगा देवी तथामेरी जेठानी श्रीमती संगीता को बताई तो ऐसा लगा जैसेउनको यह सब पहले से ही पता था और उन्होंने मुझसे कहाकि तुझे यहा रहना है तो जेसे मुकेश कहता है वैसा ही करना पड़ेगा।12. यह कि दूसरी और मेरे ससुर श्री भगवत प्रसाद ने मेरे पापाको फोन किया और कहा कि उन्हे उनके दूसरे मकान सेएल-68 गली न. 38 सादतपुर एक्सटेंशन का पुन: निर्माण कराना है जिसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक मदद चाहिये। मेरे पापा ने दिनाक 17.02.2017 को स्वयं मेरी ससुराल आकर मेरेसामने मेरे ससुर को रूपये 15000/-दिये और कहा कि मेरे पापा स्वय आर्थिक तंगी मे चल रहे थे और इससे अधिक पैसा नहीं जुटा सकते थे।13. यह कि दिनांक 18.02.2017 को मेरी जेठानी ने मुकेश को यहबताया कि मैने दिनाक 15.02.2017 को जो विधवा मालाएवं उसके और उसके दोस्तों के बीच सम्बन्ध देखे उनकी शिकायत की थी और मे माला की तरह रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर मुकेश ने मुझसे पुन: कहा कि तुझे अगर यहा रहना है तो माला की तरह की रहना होगा परन्तुजब मैने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया तो उसने सवकेसामने मेरी गर्दन पकडकर मुझे धमकी दी कि मुझे वैसा ।करना होगा और मेरी मदद के लिए कोई नही आया बल्कि मेरी सास और मेरी जेठानी ने भी मुकेश का ही समर्थन किया। उसके बाद मुकेश ने मेरे साथ रहता तथा बोलना बन्दकर दिया। मुकेश रात को अपने दोस्तो या माला के साथही घर से वाहर रहने लगा और मेरी सास मेरी जेठानी तथामेरी ननद पूजा मुझे भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रताड़ित करने लगे14 यह कि दिनाक 22.02.2017 को मेरा भाई विनोद मुझे लेने के लिए मेरी ससुराल आया और मै उसके साथ मायके आयी।तत्पश्चात मैने अपने साथ अपनी ससुराल मे हुए व्यवहार केबारे में अपनी मा को बताया। उन्होंने मेरे पिता को बताया।मेरे पिता जी ने मेरे ससुर जी से तथा मेरी मा ने मेरी सासु जी से इस विषय में बात करके मुझे मई 2017 के प्रथमसप्ताह में यह बताया कि मेरी सास और मेरे ससुर ने उनको यह विश्वास दिलाया है कि यदि वह मुझे मुकेश के साथभेज दे तो वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होने देगे।15 यह कि दिनाक 09.05.2017 को मुकेश एंव उसके बड़े भाईमुझे लेने के लिए आये और में उनके साथ उसी दिन ससुराल पहुंच गई परन्तु उसके दो दिन वाद ही मुकेश ने कहा कि तूअपने कपड़े एवं रसोई का सामान लेकर मेरे साथ लेकर चल और अव हम दोनों एक मकान में रहेगे जिसको मैने किराये पर लिया है। मुकेश मुझे उसी मकान सख्या 73 गली न. 53सादतपुर एक्सटेशन दिल्ली- 94 के तीसरी मंजिल पर ले गया और कहने लगा कि अव इस पूरे मकान को मैने किराये पर लेलिया है और वहां पर हम दोनो ही रहेगे परन्तु अगले दिनही उस मकान मे प्रदीप और शाहरूख भी आ गये और रातको मेरा पति मुकेश प्रदीप के साथ ही सोने लगा औरशाहरूख एक अलग कमरे। और कभी कभी तीनो ही एक कमरे में सोने लगे। एक दिन दरवाजे की कुन्दी लगाना भूलगये और मैंने अचानक दरवाजा खोला तो मेरा पति मुकेशऔर प्रदीप नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। सुबह मेरे पति मुकेश उस कमरे से आये और मैनेइस बात पर ऐतराज किया तो उन्होंने कहा कि यह मुझे पहलेसे ही बता चुका है कि वह और प्रदीप दोनों सम लैंगिक(गेय) है और पहले से ही मुकेश प्रदीप को अपनी पत्नी मानता है और स्वयं को प्रदीप का पति। अगले दिन वहामाला आ गयी और मुकेश प्रदीप शाहरुख और माला चारोंएक कमरे में सोये। उसके बाद मैने वहाँ रहने से इन्कार करदिया और मुकेश को कहा कि वो मेरे साथ मेरी ससुराल मेही जाकर रहे और इस मकान के किराये पर पैसा खराब करनेकी बजाय अपने वेतन में से कुछ भाग मेरे खर्च के लिए मुझेदे। मुकेश ने कहा कि उसके ऊपर शाहरूख का लगभग 50 हजार रूपये का कर्जा है और शाहरूख कहता है कि या तो मुकेश उसका कर्जा तुरन्त वापिस करे या मुझे शाहरूख के पास सोने के लिए भेज दे। इस पर मैने भारी विरोध किया और कहा कि यहा से मुझे जल्दी ससुराल ले चले दो तीन दिन वाद खुद शाहरूख मेरे कमरे मे गया और मुझ से अश्लील हरकत करने लगा और मुकेश मुझे बचाने की बजाय स्वय कमरे से बाहर चले गये। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आपको शाहरूख से छुडाया और मुकेश से कहा कि मै अब एक पल भी यहा नही रह सकती। तभी मैंने अपने कपड़े आदि इकट्ठे किये और मुकेश मुझे मेरे मायके छोड आया। 16. यह कि दिनाक 08.10.2017 को मैने अपने मायके में ही करवाँ चौथ व्रत रखा था कि दिन मे करीब 4 बजे अचानक मुकेश आ गया और बहुत अनुरोध करने लगा कि करवाँ चौथ का त्योहार मनाने के लिए मै उसके साथ अपनी ससुराल जाउ और मै केवल करवाँ चौथ के लिए उसके साथ उसके माता पिता के घर मकान संख्या 52 गली न. 8 ब्लाक-

सीदयालपुर दिल्ली-94 पहुच गयी और उसके माता पिता केअनुरोध पर रात को वहा रूक गयी और सुबह मुकेश मुझे मेरे मायके छोड गया उसके बाद आझ तक मै अपने मायके मे ही रह रही हूँ और मुकेश ना तो मुझे लेने आता है और ना हीमेरे भरण पोषण के लिए कोई पैसा देता है। जबकि मुकेश पिछले 6-7 साल से लाजपत नगर-नई दिल्ली मे दिल्लीनगर निगम की डिस्पेन्सरी में कम्प्यूटर ऑपरेटर का कामकरता है और लगभग रूपये 12.000/- मासिक वेतन प्राप्त करता है।यह उल्लेखनीय है कि इस दौरान दिनांक 16.12.2017 को रात9 बजे फोन आया और मेरे ससुर श्री भगवत प्रसाद ने मुझे यह सूचना दी कि मेरा सामान जो उन्होंने अपनेदूसरे मकान सख्या- एल-68 गली न. 38 सादतपुरएक्सटेंशन दिल्ली में रखा था वह दिनांक 13.12.2017 कोचोरी हो गया था और मुझे चोरी की वारदात की जगह आकरदेखने के लिए बुलाया। अगले दिन दिनांक 17.12.2017 को मै अपने भाई जयवीर तथा अपनी मम्मी श्रीमती विद्या देवी के साथवहा गयी और चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी जो इस थानेमे एफ आई आर न. 756 दिनांक 17. 12.2017 अ.धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज है और जिसकी एक प्रति लिपि सलगन है।18 अत: श्रीमान जी से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित अपराधअत्याचार तथा शोषण कारित करने के लिए मुकेश पुत्र श्रीभगवत प्रसाद भगवत प्रसाद श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्रीभगवत प्रसाद, सगीता पत्नी श्री राकेश समस्त निवासी गणमकान न 52 गली न. 8 – ब्लाक सी दयालपुर निवाट दिल्लीपुलिस कैम्प दिल्ली-94 तथा शाहरूख व प्रदीप निवासीK-73 गली न. 58 माला जिनको मै सामने आने पर पहचानसकती हूँ उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिता दहेज निषेधअधिनियम तथा महिला घरेलू हिंसा बचाव अधिनियम कीउपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत मुझे मुकेश के वेतन मे से मई 2017 से अभी तक तथा अब से आगे 5000 प्रति माह की दर से दिलाये जाये दिनांक 29/4/2018 सर्वेश पुत्री श्री रामसुरेश निवासीमकान न.281/9 भूतल डूंगर मौहल्ला,फर्श बाजार शहादरा,दिल्ली -110032 मो०-8802147569 श्रीमान ड्यूटी आफिसर साहब थाना खजुरी खास दिल्ली निवेदन इस प्राकर है कि मुझ ASI को एक शिकायत श्रीमति सर्वेश W/o मुकेश D/o रामसुरेश R/o H No 281/9 भूतल डूंगर मौहल्ला फर्श बाजार शहादरा दिल्ली-32 मय आदेश माननीय अदालत श्री राकेश कुमार रामपुरिया" एम.एम KKD Court No 22 Delhi Dt 3/2/20 अपराध पंजीकृत कराने के लिए R/S SHO/K.Khas साहब से प्राप्त हुई। जो शिकायतकर्ता की शिकायत से व माननीय अदालत के आदेश से प्रथम दृष्टिया अपराध U/S 498A/406/354A IPC का घटित होना पाया जाता है अपराध लेख मुकदमा पंजीकृत करने के लिए प्रस्तुत है अपराध पंजीकृत करके मुझ ASI को अपराध संख्या से अवगत कराया जावे तारीख वक्त वकुआ 3/2/17 TO 8/10/17 जाय स्थान घटना H No K-73 गली न. 53 सादतपुर Extn दिल्ली दिनांक व समय पेशगी लेख 13/2/20 At 10:00PM SD ASI Chander Parkash No 710/NE PS K.Khas Dt 13/2/20 कार्यवाही पुलिस इस समय लिखा है कि एक लेख हिन्दी लिखित ASI CHANDER PARKESH NO-710/NE द्वारा मुझ ASI/DO को थाना मे पेश कि जो शिकायत पत्र के प्राप्त होने पर मै ASI/DO ने प्रथम सूचना सख्या- 87/2020 U/S 498A/406/354A IPC का लिखकर व CCTNS OPPT CT VIPIN NO-1073/NE द्वारा COMPURTERIZED कराया जाकर COMPURTERIZED COPY OF FIR व मूल शिकायतपत्र CT RAHUL NO 2661/NE के माध्यम से ASI CHANDER PARKESH NO-710/NE के पास भिजवाई गई। जो आगे की कार्यवाही करेगे। व अन्य नकल प्रति डाक के द्वारा उच्च अधिकारियो की सेवा मे प्रस्तुत होगे CHECKED BY ASI/DO

13. Action Taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2:
(की गयी कार्यवाही: चूकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि किया गया अपराध मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(i) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(ii) Directed (Name of the I.O.)(जांच अधिकारी का नाम): CHANDER PARKASH — OR (या)

No(सं.): 28910806 — Rank (पद): ASST. SI (ASSISTANT SUB-INSPECTOR)

to take up the investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) OR(या)

(iii) Refused investigation due to(जाच के लिए): — OR (के कारण इकार किया या)

(iv) Transferred to P.S(name)(थाना): — District(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost : (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी) :

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.):

Scanned with OKEN Scanner

Name

District : NORTH EAST

P.S: KHAJURI KHAS

Year: 2020 FIR ...

Date ...

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant:
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer

Name ... JAMSHED ALI

Rank ... ASST. SI (ASSISTANT SUB-INSPECTOR)

No.(... 28910714

15. Date and Time of despatch to the court:
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

POLICE STATION

Scanned with OKEN Scanner